

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर स्थित रेलवे स्टेशन में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु दर निर्धारण एवं योग्य फर्मों का इम्पैनलमेंट के लिए नियम एवं शर्तें

1. छत्तीसगढ़ संवाद राज्य शासन द्वारा फर्म एवं सोसायटी अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित एक पंजीकृत सोसायटी है। छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा शासन के विभिन्न विभागों, निगम-मण्डलों एवं अर्द्धशासकीय संस्थाओं की जनकल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों, योजनाओं एवं अन्य जानकारीयों, उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार विभिन्न माध्यमों से किया जाता है।
2. निविदाकर्ता फर्म को तकनीकी बिड में निम्नलिखित दस्तावेज ऑनलाईन जमा किया जाना होगा:-
 - 2.1 पेन कार्ड की प्रति।
 - 2.2 छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी विभाग में निविदाकर्ता फर्म का जीएसटी पंजीयन की प्रति। जीएसटी पंजीयन की ARN मान्य होगा। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन के प्रति उपलब्ध कराने के पश्चात् ही संबंधित फर्म से अनुबंध निष्पादन किया जाएगा।
 - 2.3 माह मार्च 2024 का GSTR3B रिटर्न की प्रति जमा करना होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के जीएसटी पंजीयन नवीन होने की स्थिति में अपने प्रचलित जीएसटी नंबर का माह मार्च - 2024 की जीएसटी रिटर्न की प्रति अपलोड करना होगा।
 - 2.4 Assessment Year 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का आयकर रिटर्न की प्रति।
 - 2.5 वित्तीय वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 तीनों वर्षों का औसतन टर्नओवर कम से कम रु. 25 लाख होने का चार्टर्ड एकाउंटेंट से सत्यापित UDIN अंकित टर्नओवर प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा।
 - 2.6 निविदा प्रपत्र शुल्क रु. 1,180/- जीएसटी सहित (वापसी योग्य नहीं) एवं अमानत राशि रु. 50,000/- (बिना ब्याज के वापसी योग्य) छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता में ऑनलाईन/ आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से जमा करना होगा एवं पावती/साक्ष्य की प्रति टेक्निकल बिड के साथ जमा करना होगा।

छत्तीसगढ़ संवाद के बैंक खाता का विवरण निम्नानुसार है :-

Account Name	:	Chhattisgarh Samvad
Bank Name	:	Axis Bank Ltd.
Branch Name	:	Pandri, Raipur (C.G.)
Saving Account No.	:	139010100021669
IFSC Code No.	:	UTIB0000139
 - 2.7 निविदा में भाग लेने वाले फर्मों के पास शासकीय/अर्द्धशासकीय/अन्य संस्थान के डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी में प्रचार-प्रसार संबंधी कार्य का कम से कम एक वर्ष का अनुभव होना चाहिए। विज्ञापन दाता कलाईन्ट/संस्थान से जारी कार्यादेश अथवा अनुभव प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छायाप्रति ऑनलाईन अपलोड करना होगा।
 - 2.8 शासकीय संस्थान रेलवे से विज्ञापन प्रदर्शन हेतु एजेन्सियों के साथ अनुबंधित अनुबंध की प्रति/विज्ञापन/प्रदर्शन के अधिकार पत्र ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
 - 2.9 डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी में विज्ञापन प्रसारण हेतु स्थानीय प्रशासन (Concerned Authority) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की प्रति।
 - 2.10 फर्म के पास स्वयं के स्वामित्व की डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी का इन्वाइस संलग्न करना होगा। किसी प्रकार का ज्वाइंटवेंचर/कंसोर्टियम मान्य नहीं होगा।

3. निविदा स्वीकृत होने पर निविदाकार फर्म को राशि रु. 100/- के स्टाम्प पर छत्तीसगढ़ संवाद नवा रायपुर के साथ निर्धारित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित कर नोटरी से सत्यापित कराना होगा।
4. निविदाकार को छत्तीसगढ़ शासन एवं केन्द्र शासन द्वारा प्रचलित एवं समय समय पर जारी समस्त नियमों, निर्देशों, आदेशों और अधिनियमों का पूर्ण पालन करना होगा।
5. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड में विज्ञापन प्रसारण हेतु शासकीय संस्थान रेलवे से वैध अनुमति फर्म को प्राप्त करनी होगी। अनुमति प्राप्त करने का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी वाले फर्म का रहेगा।
6. टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए फर्मों का फाईनेन्शियल बिड खोला जाएगा एवं प्राप्त न्यूनतम दर पर इम्पैनलमेंट हेतु टेक्निकल बिड में योग्य पाए गए सहमत फर्मों को दो वर्ष के लिए इम्पैनलड किया जाएगा। निविदा समिति को दरों में निगोसियेशन का पूर्ण अधिकार होगा। निविदा समिति द्वारा निविदा दर/D.A.V.P. में उपलब्ध दर/ अन्य शासकीय संस्था में प्रचलित दर /अन्य दर अनुसार निगोसियेशन कर दर निर्धारण किया जायेगा। कार्य संतोषजनक होने पर एल-1 दर पर दो वर्ष समाप्ति के पश्चात पुनः अधिकतम एक वर्ष अवधि में वृद्धि करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
7. वित्तीय प्रस्ताव में उल्लेखित अवधि के अलावा अन्य अवधि हेतु कार्य की आवश्यकता होने/समय कम या ज्यादा होने पर दोनों स्थिति में अनुपातिक दर पर कार्य कराने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
8. डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु धन-जन-थर्ड पार्टी के सुरक्षा का दायित्व संबंधित डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी एजेंसी/फर्म का होगा। अतः इस संबंध में संबंधित फर्म को पर्याप्त सुरक्षा एवं व्यवस्था सुनिश्चित करना होगा। छत्तीसगढ़ संवाद का इस संबंध में किसी भी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं होगा।
9. इम्पैनलड फर्मों को समय-समय पर संबंधित विभागों से प्राप्त कार्यादेश अनुसार कार्य आबंटन का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद के पास सुरक्षित रहेगा।
10. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा उपलब्ध कराये गये निगरानी ऐप में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टी.वी. में प्रदर्शित हो रहे विडियो का फोटो अपलोड करना होगा। फोटो 02 बार (प्रारंभ एवं अंतिम दिवस) उपलब्ध कराना होगा एवं तदनुसार देयक स्वीकृत होगा।
11. समय-समय पर कार्यालयीन निर्देश पर सीधा प्रसारण किया जाना होगा।
12. निविदा की किसी भी शर्तों, नियम कंडिका को शिथिल करने अथवा संपूर्ण निविदा को किसी भी समय निरस्त करने का संपूर्ण अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा।
13. निर्धारित प्रारूप में 50 रुपये का स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित यह प्रमाण-पत्र दिया जाना होगा कि संबंधित संस्था/व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्र एवं अन्य अभिलेख पूर्णतः सही है, भविष्य में कोई प्रमाण-पत्र गलत पाए जाने पर उसे छत्तीसगढ़ संवाद की सूचीबद्धता से अगले एक वर्ष तक के लिए अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। इस प्रमाण-पत्र में यह भी स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया जाना होगा कि संस्था किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में ब्लेक लिस्टेड नहीं हैं। शपथ-पत्र की मूल प्रति (हार्ड कापी) एवं डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी का वीडियो कन्टेंट के CD/DVD/Pendrive में निविदा जमा करने के नियत तिथि एवं समय के पूर्व अपरान्ह 3:00 बजे तक छत्तीसगढ़ संवाद,

सेक्टर-19 नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर अटल नगर भवन के द्वितीय तल, कक्ष क्रमांक SF-10 में जमा किया जा सकता है।

14. पैनल में सूचीबद्ध फर्म द्वारा L1 दर में कार्य करने में किसी भी प्रकार की असमर्थता यथा समय सीमा, तकनीकी समस्या या अन्य कोई कारण जाहिर करता है एवं कार्य नहीं करने की स्थिति में फर्म को आगामी तीन माह तक कोई कार्य/कार्यादेश नहीं दिया जायेगा।
15. बिन्दु क्र 13 में उल्लेखित CD/DVD/Pendrive एवं नोटरी से सत्यापित प्रमाण पत्र की मूल प्रति के अतिरिक्त कोई भी दस्तावेज ऑफलाईन स्वीकार्य नहीं होगा एवं वांछित दस्तावेज ऑनलाईन जमा नहीं होने की स्थिति में टेक्नीकल बिड अमान्य किया जायेगा।
16. तकनीकी बिड खोलने के पश्चात् निविदाकार द्वारा निविदा पंजीकृत करने की स्थिति में अथवा निविदाकार द्वारा जमा कोई दस्तावेज/जानकारी गलत या जाली साबित होती है तो निविदाकार द्वारा जमा अमानत राशि जब्त किया जाएगा।
17. छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा कार्यादेश प्रदाय करने पर आपका विज्ञापन जिस दिन से प्रदर्शित होगा उसी दिन से आपके देयक का भुगतान किया जाएगा। जिस दिनांक को आप विज्ञापन प्रदर्शित करेंगे उस दिनांक का फोटो वाट्सप ग्रुप या ईमेल आईडी के माध्यम से जानकारी प्रदाय करनी होगी।
18. माह को 30 दिवस का ही माना जाएगा।
19. मीडिया की साईज कम या ज्यादा होने पर अनुपातिक रूप से गणना किया जाएगा।
20. इम्पैनल्ड फर्मों के त्रुटि, लापरवाही या अन्य किसी कारण से छत्तीसगढ़ संवाद/जनसंपर्क संचालनालय/शासन के किसी प्रकार की क्षति अथवा प्रतिष्ठा धूमिल होने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिए ब्लैक लिस्टेड किया जा सकेगा एवं पेनाल्टी के रूप में निश्चित राशि देयक का अधिकतम 2.5 प्रतिशत तक कटौती का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। पेनाल्टी राशि का समायोजन फर्म द्वारा जमा अमानत राशि से किया जा सकेगा।
21. **आर्बिट्रेशन (मध्यस्थता) :** किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने एवं 30 दिवस के अंदर समाधान न होने की स्थिति में निर्णय हेतु मामला एकल आर्बिट्रेटर— प्रमुख सचिव/सचिव, जनसंपर्क विभाग को अग्रेषित किया जायेगा एवं उनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा। आर्बिट्रेशन की कार्यवाही आर्बिट्रेशन एवं काउंसिलेशन एक्ट, 1996 के अधीन संपादित होगा।
22. निविदा प्रस्तुत करने का आशय यह होगा कि निविदाकार द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं का अवलोकन किया गया है एवं उक्त सभी बिन्दु निविदाकार फर्म को मान्य है।
23. किसी प्रकार की विवाद की स्थिति में न्यायालयीन क्षेत्र रायपुर होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी
छत्तीसगढ़ संवाद
नवा रायपुर अटल नगर

(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर में नोटरी से सत्यापित शपथ-पत्र निविदा के टेक्निकल बिड में प्रस्तुत करना होगा)

शपथ-पत्र

मैं _____ संस्था प्रमुख निवासी _____ छत्तीसगढ़ संवाद द्वारा जारी निविदा प्रारूप, निर्धारित नियम एवं शर्त का पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही उपरोक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा/रही हूँ। हमारे फर्म द्वारा वैधानिक देय राशियों का शासन की संबंधित खातों में जमा किया गया है, कोई देय राशि बकाया नहीं है। उपरोक्त आवेदन में अंकित कोई भी जानकारी अपर्याप्त/अधूरी या फिर गलत पाई जाती है तो इसे अस्वीकार/निरस्त करने का तथा हमारी संस्था को ब्लैकलिस्ट करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ संवाद को होगा। इस बारे में मेरे या संस्था के किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह की अपील या आपत्ति किसी क्षेत्र में नहीं की जायेगी। मुझे छग संवाद की उपरोक्त से संबंधित सभी नियम एवं शर्त स्वीकार है।

यह कि हमारी संस्था _____ किसी शासकीय और अर्द्ध शासकीय विभाग/निगम/मंडल इत्यादि द्वारा ब्लैक लिस्टेट (काली सूची) नहीं की गई है।

स्थान _____

दिनांक _____

हस्ताक्षर

(पूरा नाम)

संस्था का नाम व मोहर

छत्तीसगढ़ संवाद

(जनसम्पर्क विभाग की सहयोगी संस्था)

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ़ प्रदेश के बाहर स्थित रेलवे स्टेशन में डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी के माध्यम से प्रचार-प्रसार हेतु वित्तीय प्रस्ताव

क्र.	विवरण	प्रसारण अवधि	स्थान	दर(जीएसटी अतिरिक्त)				
				श्रृंखला में स्थापित टीवी संख्या				
				5-15 तक	16-30 तक	31-45 तक	46-60 तक	61 से अधिक
1.	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पोर्ट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पोर्ट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली					
			मेट्रो सिटी मुम्बई					
			मेट्रो सिटी बैंगलोर					
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद					
			मेट्रो सिटी चेन्नई					
			मेट्रो सिटी कोलकाता					
			हावड़ा					
2	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पोर्ट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पोर्ट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			मुम्बई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
3	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पोर्ट प्रसारण :-		छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20 -50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50 -1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1 -5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
4	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
5	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली					
			मेट्रो सिटी मुंबई					
			मेट्रो सिटी बैंगलोर					
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद					
			मेट्रो सिटी चेन्नई					
			मेट्रो सिटी कोलकाता					
			हावड़ा					
6	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
7	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-43-55 इंच तक		छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
8	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
9	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-56 -65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी मुंबई मेट्रो सिटी बैंगलोर मेट्रो सिटी अहमदाबाद मेट्रो सिटी चेन्नई मेट्रो सिटी कोलकाता हावड़ा					
10	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-56 -65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
11	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-56 –65 इंच तक	हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20 –50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50 –1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1 –5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
12	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-56 –65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
13.	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी मुंबई मेट्रो सिटी बैंगलोर मेट्रो सिटी अहमदाबाद मेट्रो सिटी चेन्नई मेट्रो सिटी कोलकाता हावड़ा					
14	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। सांउड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
15	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20 –50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50 –1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1 –5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
16	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। साउंड के साथ साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
17	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली					
			मेट्रो सिटी मुंबई					
			मेट्रो सिटी बैंगलोर					
			मेट्रो सिटी अहमदाबाद					
			मेट्रो सिटी चेन्नई					
			मेट्रो सिटी कोलकाता					
			हावड़ा					
18	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-32 -42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
			हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
19	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-		छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-32 –42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20 –50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50 –1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1 –5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
20	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी. टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-32 –42 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0–20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20–50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50–1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
21	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी मुंबई मेट्रो सिटी बैंगलोर मेट्रो सिटी अहमदाबाद मेट्रो सिटी चेन्नई मेट्रो सिटी कोलकाता हावड़ा					
22	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
23	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-43-55 इंच तक	हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
24	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-43-55 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
25	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-56 -65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी मुंबई मेट्रो सिटी बैंगलोर मेट्रो सिटी अहमदाबाद मेट्रो सिटी चेन्नई मेट्रो सिटी कोलकाता हावड़ा					
26	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-56 -65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
27	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-56-65 इंच तक	हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
28	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-56-65 इंच तक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दरे	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
29	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	मेट्रो सिटी दिल्ली मेट्रो सिटी मुंबई मेट्रो सिटी बैंगलोर मेट्रो सिटी अहमदाबाद मेट्रो सिटी चेन्नई मेट्रो सिटी कोलकाता हावड़ा					
30	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेकंड का दर	दिल्ली के मेट्रो रेलवे स्टेशन मुंबई के मेट्रो रेलवे स्टेशन बैंगलोर के मेट्रो रेलवे स्टेशन अहमदाबाद के मेट्रो रेलवे स्टेशन चेन्नई के मेट्रो रेलवे स्टेशन कोलकाता के मेट्रो रेलवे स्टेशन हावड़ा के मेट्रो रेलवे स्टेशन					
31	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी /एल.ई.डी.टीवी /स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :-	प्रतिमाह	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(0 -20 लाख)					

	न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-66 इंच से अधिक	हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी में स्थित रेलवे स्टेशन जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					
32	डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड-डिजिटल टीवी / एल.ई.डी. टीवी / स्मार्ट एल.ई.डी. टीवी स्पॉट प्रसारण :- न्यूनतम 10 सेकण्ड का एवं प्रति 3 से 4 मिनट के बाद में रिपिट प्रदर्शित हो एवं न्यूनतम 120 स्पॉट प्रतिदिन प्रदर्शित होना अनिवार्य है। बिना सांउड के साईज-66 इंच से अधिक	प्रतिमाह हेतु प्रति 10 सेंकड का दर	छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(0-20 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(20-50 लाख)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(50-1 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर)					

			छोड़कर) जनसंख्या(1-5 करोड़)					
			छ. ग. प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रमुख शहरों में स्थित रेलवे स्टेशन (अन्य सभी प्रदेशों के राजधानी को छोड़कर) जनसंख्या(5 करोड़ से अधिक)					

उपरोक्त दरों के अलावा जीएसटी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार का चार्ज नहीं किया जाएगा।

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर
नाम/पता संपर्क नंबर एवं
सील-मुद्रा सहित